न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./54/18/भीलवाड़ा (2018/00054)

विभागीय अपील द्वारा श्री महावीर प्रसाद शर्मा तत्कालीन पटवारी बिजौलिया कंला हाल पटवारी भोपतपुरा जिला भीलवाड़ा विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी दिनांक 30–03–2017 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री महावीर प्रसाद शर्मा तत्कालीन पटवारी बिजौलिया कंला हाल पटवारी भोपतपुरा जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांकः– 9.8.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां के आदेश दिनांक 30–03–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 16.03.2006 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

यह है कि आपके बिजौलियां कंला में पटवारी के पद पर रहते हुये आप द्वारा प्रतिलिपी शुल्क रजिस्टर पी–35 के क्रमांक 74 पर दिनांक 2.12.2010 को जारी नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपी में खसरा नम्बर 239/2 की भिन्नता की नकल जारी की इस नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 239/2 जो ऊपर की तरफ अंकित है कटा हुआ है और नीचे की तरफ अंकित नम्बर कटा हुआ नहीं है आप द्वारा नकल जारी की गयी वह केवल ऊपर के खसरा नम्बर 239/2 की ही जारी की गयी और वह भी नक्शें में कटी हुई थी किन्तु उसको आपने काटा नहीं तथा नीचे की

तरफ जो खसरा नम्बर 239/2 बना था उसको उस नकल में अंकित ही नहीं किया और आपने अधूरी नकल तैयार की जिस कारण भ्रम व विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो गई।

इस प्रकार आपने रेकार्ड से भिन्न नकल जारी कर अपने पदीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती है जिसके लिए आप दोषी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 10–6–2006 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 10–03–2017 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 30–3–2017 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया का आदेश दिनांक 30–03–2017 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/एफ कार्मिक (क–3) 79 दिनांक 26–3–1980 जारी कर आरोपों को निर्धारित करने से पूर्व प्राथमिक जांच कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त प्रकरण में किसी भी अधिकारी से प्राथमिक जांच नहीं करवाई गई है इसके समर्थन में (1) A.I.R.1976 (S.C.) पृष्ठ 2277, (2) A.I.R.1976 (S.C.) पृष्ठ 2037 में बिना प्राथमिक जांच कराये आरोप पत्र जारी करने को विधिसम्मत नहीं माना गया है। साथ ही (1) R.L.W 1977 पृष्ठ 599, (2) S.C.C. 1979 पृष्ठ 157 में उल्लेखित है कि अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप लगाया गया है वह अस्पष्ट है। अस्पष्ट आरोप के आधार पर पारित किया गया दण्डादेश नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। आरोपों को प्रमाणित मानने व अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को को नहीं मानने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां ने केवल तहसीलदार बिजौलियां से अपीलांट के स्पष्टीकरण पर टिप्पणी मांग कर उसके आधार पर दण्डादेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। आरोप पत्र में वर्णित घटना वर्ष 2010 की है और अपीलांट को आरोप पत्र दिनांक 16–3–2016 को दिया गया है अर्थात घटना के 6 वर्ष पश्चात आरोप पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि मोहन भाई डूंगर भाई परमार बनाम वाई.वी. झाला 1980 लैब I.C. 89 (गुजरात) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि घटना के 36 वर्ष पश्चात आरोप पत्र दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपीलांट को अपना पक्ष सम्पूर्ण रूप से रखने का अवसर देना चाहिए, जो उन्हें नहीं दिया गया इसलिए उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2005 (3) सी.डी.आर. पृष्ठ 1982 जगदीश चन्द्र बनाम राजस्थान सरकार तथा राजेन्द्र दत्त शर्मा बनाम सरकार के प्रकरण में नियम 17 के तहत कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना गया है, जो अपीलांट के प्रकरण में यह नियम 17(3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा जो नकल जारी की गई है वह केवल उपर के खसरा नम्बर 239/2 की ही जारी की गई थी और वह भी नक्शे में कटी हुई थी। किन्तु नकल में काटा नहीं गया है। तहसीलदार बिजौलिया ने इस विषय पर पूर्व में गोपाल लाल कोली द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांच की उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.8.2015 में स्पष्ट किया कि ग्राम बिजौलिया कंला की आराजी खसरा नम्बर 239 में 3 बीघा रकबे का आवंटन मिसल नम्बर 208/84 दिनांक 26–4–1984 को बाबूलाल कोली को आवंटित हुआ था। आवंटन पत्रावली पर तथा नामान्तरकरण की जिल्द पर नक्शा ट्रेस चस्पा है जिसमें 239/2 की तरमीम स्थल बताकर पटवारी ने हस्ताक्षर किये है। इस पत्र के आगे मिसल संख्या 425/89 गुलाब बाई पत्नी मिट्ठू के नाम का उल्लेख करते हुए पत्र में लिखा है कि उक्त मिसल में 24.5.1989 को आवंटन हुआ था। उक्त आवंटन पत्रावली में नामान्तरकरण संख्या 968 में जो नक्शा ट्रेस बनाकर लगाया हुआ था वह बाबूलाल की पत्रावली में संलग्न नक्शे से मेल नहीं खा रहा था । पत्र में आगे लिखा है कि

दोनों ही पत्रावलियों में खसरा नम्बर 239/2 को अलग–अलग स्थिति में दिखाया गया है। पुराने नक्शे में उपर के नक्शे को नक्शा लट्ठा में काटा हुआ है। उक्त तरमीम कब की गई एवं किसने काटी स्पष्ट नहीं होता है। जो तरमीम पुराने नक्शे में कटी हुई है वह बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के काटी हुई है जबकि कोई भी गलती सुधारी जाती है तो सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक है। पटवारी का दायित्व पेन्सिल से तरमीम करने का है एवं भू.अ निरीक्षक का दायित्व पेन्सिल तरमीम को लाल स्याही से पुख्ता करने का है। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया ने इस तथ्य की जांच नहीं की कि भिन्न भिन्न आवंटन पत्रावलियों में खसरा नम्बर 239/2 की स्थिति को अलग–अलग स्थान पर दर्शाने का उल्लेख क्यों किया गया है। ऐसा संशोधन किन परिस्थितियों में किया गया है। अपीलांट ने जो नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 239/2 की जो नकल जारी की गई थी वह जांच में प्रस्तुत नहीं की गई, पूरा प्रकरण नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पर आधारित है। जबकि अपीलांट ने जो नकल जारी की वह मूल ही कभी भी जांच में प्रस्तुत नहीं की । अपीलांट ने दिनांक 2.12.2010 को नकल जारी की थी वह तत्समय खसरा नम्बर 239/2 की जो स्थिति नक्शा ट्रेस में थी उसी के अनुसार ही नकल जारी की गई। उसके पश्चात अपीलांट के बाद वाले पटवारी ने दिनांक 9–9–2011 को जो नक्शा ट्रेस की नकल जारी की है उसमें खसरा नम्बर 239/2 की भूमि को नीचे दर्शाया गया है और जहां उपर की ओर खसरा नम्बर 239/2 की भूमि को दर्शित किया गया है उसकी सीमाओं को क्रास–क्रास किया गया है। इस प्रकार का संशोधन किस सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा किया गया है यह पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार बिजौलिया ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 19–8–2015 में अंकन किया है कि इसकी जांच की जानी आवश्यक है जिसे नहीं माना गया। अपीलांट ने नक्शा ट्रेस की जो नकल जारी की वह मूल नक्शा ट्रेस में जो स्थिति थी वह हुबहु अंकित करते हुए नकल जारी की गई है। इन सारे तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट दिनांक 19–8–2015 से होती है। तत्कालीन पटवारी ने दिनांक 9–9–2011 को जो नकल जारी की है वह उसने किस आधार पर जारी की है यह जांच का विषय था। वास्तव में जो दिनांक 9–9–2011 को नकल जारी की गई थी वह मूल नक्शा ट्रेस के विपरीत थी क्योंकि मिसल संख्या 425/89 गुलाब बाई के प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 968 में जो खसरा नम्बर 239/2 को जिस स्थान पर दर्शाया गया था उसी के अनुसार ही अपीलांट ने नकल जारी की थी। अपीलांट द्वारा जारी की गई नकल बिल्कुल सही थी लेकिन 9.9.2011 की नकल गलत रूप से जारी की गई है क्योंकि खसरा नम्बर 239/2 को नक्शा ट्रेस में दो स्थानों पर दर्शाया गया है। उपर के स्थान पर खसरा नम्बर 239/2 को नक्शें में क्रॉस–क्रॉस किया हुआ है, यह किस सक्षम अधिकारी के आदेश से किया गया है इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। नक्शा ट्रेस में जिस प्रकार कांटा

छांटी की गई है वह अपीलांट द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट पर लगाया गया आरोप निराधार होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा प्रार्थी के प्रस्तुत जवाब पर गौर नहीं कर जो दण्डादेश दिनांक 30–3–2017 पारित किया वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही व्यक्तिगत सुनवाई व प्रस्तुत जवाब के आधार पर निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में श्री गोपाल लाल कोली तत्कालीन पटवारी हलका बिजौलियां व अन्य के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक 1066 दिनांक 30–6–2015 से तहसीलदार बिजालियां से जांच करवाई गई। उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 858 दिनांक 19–8–2015 से विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण में कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 484–85 दिनांक 16–3–2016 से अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए रूल्स 17 के अन्तर्गत आरोप पत्रादि जारी किये गये। प्रकरण में प्राथमिक जांच पश्चात ही आरोप पत्र जारी किये जाने बाबत बिन्दु भी निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी को पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही नियमानुसार दण्डादेश पारितकिया गया है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2010 में किये गये कृत्य के क्रम में प्रकरण में वर्ष 2015 में शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच तहसीलदार बिजौलियां से करवाई गई जिस पर उनके पत्रांक 858 दिनांक 9–8–2015 से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दिनांक 16–3–2016 को आरोप पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी को दिया गया दण्डादेश दिनांक 10–3–2017 को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमों में दी गई प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है जो उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–03–2017 द्वारा श्री महावीर प्रसाद शर्मा तत्कालीन पटवारी बिजौलिया कंला हाल पटवारी भोपतपुरा जिला भीलवाड़ा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958

के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा उक्त आदेश में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं व विधिक प्रावधानों को नहीं मानने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में अंकित किया है कि उसके द्वारा नक्शा ट्रेस में कांट–छांट नहीं की गई है। उक्त प्रकरण वर्ष 2010 में नकल जारी करने से संबंधित है जिसे पांच वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। पटवारी के द्वारा नक्शा जारी करने के पश्चात उस जारी नक्शें में किसी व्यक्ति द्वारा कभी कोई परिवर्तन, रूपान्तरण अथवा पेन्टोग्राफी करता है तो उसकी जवाबदेही पटवारी की नहीं हो सकती है। साथ ही नक्शा ट्रेस किस प्रयोजन से जारी किया गया था नक्शा ट्रेस की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे वास्तविक स्थिति की जानकारी किया जाना संभव नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया ने अपीलांट को आरोप पत्र जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की प्रारम्भिक जांच नहीं करवाई गई जिससे यह स्पष्ट हो सकता था कि उक्त नक्शा ट्रेस में किसके द्वारा कांट छांट की गई है। नक्शा ट्रेस में कांट छांट किसके द्वारा की गई है यह भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जिस नक्शा ट्रेस को आधार बनाकर आरोप पत्र जारी किया गया है वह नक्शा ट्रेस अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है जिससे वास्तविक स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। उक्त प्रकरण में 5 वर्ष पश्चात आरोप पत्र जारी किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट द्वारा जारी नकल से किसी प्रकार से राजस्व हानि होना प्रतीत नहीं होता है। यदि पटवारी द्वारा गलत नकल जारी भी की गई है तो उसे विड्रो किये जाने का नियमों में प्रावधान है। पटवारी द्वारा ऐसा कोई गम्भीर अपराध नहीं किया है जिससे उसे 5 वर्ष पश्चात नकल जारी करने के आधार पर आरोप पत्र दिया जाकर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब एवं दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी कार्मिक पर लगाया गया आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया गया था कि उसे द्वारा नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं की गई है। नक्शा ट्रेस में कांट–छांट किसके द्वारा की गई है यह भी स्पष्ट नहीं है अपीलांट पर सीधे आरोप लगाना उचित नहीं है। तहसीलदार, बिजौलिया द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया था कि उत्य तथ्य की जांच की जाना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया ने तहसीलदार, बिजौलिया की जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को एवं अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) रोकने के दण्ड से दण्डित किया

गया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतःएव उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 30–03–2017 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 30–3–2017 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर